23/4/26

पत्रावली वास्ते डिक्री प्रारूप O22R4-9 CPC हेतु पेश हुई। प्रारूप डिक्री तैयार किया जाकर पाया स्वतः उपशमित मान कर जारी किया किया जाता है। विस्तृत डिक्री अलग से शामिल किया। डिक्री जारी हो नियम से अब हो।

डिक्री मुताबिक जारी हो

GCMS 2017/00151

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.24 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भरत जय प्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 141/2017 GCMS/2017/00151 दायर दिनांक : 14.06.2017

ख्यालीराम पुत्र श्री श्रीमनसुख (फौत)

1. दौलतराम पुत्र श्री ख्यालीराम जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. पुष्पा पुत्री श्री खयालीराम जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजपाल पुत्र (फौत)

   3(1) ममता पत्नी श्री राजपाल जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

   3(2) ऋषभ कुमार पुत्र श्री राजपाल नाबालिग जरिये कुदरती वलि माता ममता पत्नी श्री राजपाल जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......वादीगण

बनाम

1. श्री प्रभूराम } पुत्रगण श्री छोगाराम जाति नाई निवासी मालेर तहसील
2. श्री गौरीशंकर } सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थित:

1. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक वादीगण
2. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादीगण
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़ प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 23.04.2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, पक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया मुख्य तथ्य विचारण इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद पत्र खाता विभाजन एवं अन्य अनुतोष का अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही मालेर की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 40/65 में अंकित 7.590 है. का खाता विभाजन कर वादी को उक्त भूमि से बने चक 1 एम.आर.एम. का प.न. 60/8 का कि.न. 3, 8, 13, 18, 20 ता 23 कुल 8.00 बीघा भूमि का खाता विभाजन करने व खरीद दिनांक से नाजायज कब्जा करने के आधार पर ... हजार रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से आर्थिक ... प्रतिवादीगण से दिलाये जाने का अनुतोष चाहा। वाद प्राप्त होने के ... किया गया मूल वादी की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया व प्रतिवादीगण को तलब कर उनके जवाब तलब किये गये जवाब आने पर तनकीयात कायम हुई इसी दौरान प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु होने पर दिनांक 24.06.2025 को

क्रमशः पेज 2 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.24 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा आर्डर 22 रूल 10 एवं रूल 4 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी प्रभूराम का देहावसान सन 2020 में हो चुका है इसलिए वादी का दायित्व था कि वे मृतक के वारिसों को मृत्यु के 90 दिवस के अन्दर पक्षकार बनाते जो उन द्वारा नहीं बनाया गया इसलिए वाद उपशमित Abet होने से निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसे पत्रावली में शामिल किया गया इसके पश्चात अभिभाषक वादी द्वारा अन्तर्गत आर्डर 22 रूल 4 व 9 सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी प्रभूराम के वारिसों को पक्षकार बनाया जावें।

दोनों प्रार्थना पत्रों पर तर्क सुने गये, अभिभाषक प्रतिवादी न. 2 कि ओर से प्रार्थना पत्र के तर्को को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रभूराम की मृत्यु वर्ष 2020 में ही हो चुकी थी जिसकी विधि अनुरूप सूचना अभिभाषक द्वारा दिनांक 24.06.2025 को अदालत में दी जा चुकी थी यह तथ्य पत्रावली के फर्दअहकाम से भी साबित है, अभिभाषक प्रतिवादी ने अपना दायित्व ज्ञान होने के तुरन्त बाद अदालत को आदेश 22 रूल 10 के अन्तर्गत सूचना देकर पूर्ण कर दिया था यदि सूचना से भी 90 दिन माना जावे तब भी अभिभाषक को दिनांक 24.09.2025 तक मृतक के वारिसों को पक्षकार बना लिया जाना चाहिये था। वादी का यह दायित्व है कि वह मुकदमें के बारे में पूर्ण ज्ञान रखे पक्षकारों के बारे में ज्ञान रखे क्यों कि वही अनुतोष चाहने वाला व्यक्ति है उनके द्वारा इस दायित्व का कतई पालन नहीं किया गया ज्ञान होने के बाद करीब 186 दिन के बाद प्रतिवादी के वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दिया है जबकि सूचना से भी माना जावें तब भी यह अवधि 24.09.2025 को समाप्त हो जाती है और इसी दिन वाद स्वयंमेव उपशमित हो गया इसके बाद इसे स्वयंमेव निरस्त माना जाकर वाद दाखिल दफतर होने योग्य था। साथ ही निवेदन किया कि यह वाद यघपि विभाजन का दर्ज है किन्तु इसमें खातेदारी की घोषणा अतिक्रमी से मुआवजा दिलाने की भी मॉग की गई है इस दृष्टि से यह वाद मात्र खाता विभाजन का माने जाने योग्य नहीं है। अतः वाद को उपशमित मानकर निरस्त करने की प्रार्थना की गई साथ ही निवेदन किया कि आज भी वादी द्वारा उपशमन को निरस्त करने का कोई प्रार्थना पत्र कारण सहित प्रस्तुत नहीं किया है अतः वाद स्वयंमेव निरस्त मानकर दाखिल दफतर करने की प्रार्थना की गई। तर्को के समर्थन में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की [illegible] आदेश 22 रूल 4 एवं न्याय निर्णय प्रकाशित आर.डी.जे. 2017 पेज 386 का अवलोकन करवाया। अभिभाषक वादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तर्को को दोहराते हुए निवेदन किया कि उनको प्रतिवादी की मृत्यु की कोई सूचना नहीं थी उन्होनें स्वयं प्रयत्न करके जमाबंदी की नकल प्राप्त की तभी उन्हें मृत्यु

क्रमशः पेज 3 पर......

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.24 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

का ज्ञान हुआ और बिना देरी किये वारिसों को पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया साथ ही धारा 5 मय शपथ पत्र विलम्ब को माफ करने के लिये प्रस्तुत किया है, विभाजन के वाद में न्याय हित में उपशमन विचारणीय नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र बाबत वारिसों को पक्षकार बनाने का स्वीकार करने की प्रार्थना की व प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना की। तर्को के समर्थन में न्याय निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर प्रकाशित आर.एल.डब्ल्यू. 2018 (1) रेवेन्यू पेज 163 प्रस्तुत किया।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पत्रावली का ध्यान पूर्वक पठन किया व प्रस्तुत न्याय निर्णयों का समान पूर्वक पठन व मनन करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि निश्चित रूप से अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 रूल 10(ए) के अनुरूप दिनांक 24.06.2025 को कर दिया था इस तथ्य का फर्दअहकाम में अंकन से यह माना जाने योग्य था कि इसका ज्ञान अभिभाषक वादी को हो गया था इसके 90 दिन बाद पक्षकार न बनाये जाने के आधार पर वाद स्वतः उपशमित हो चुका था फिर भी वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र की नकल दिनांक 03.10.2025 क्यों प्राप्त की गई जबकि पत्रावली में मृत्यु का तथ्य दिनांक 24.06.2025 को ही आ चुका था। दिनांक 03.10.2025 के बाद भी वादी द्वारा दिनांक 06.01.2026 को अर्थात करीब 93 दिन बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह भी स्वतः उपशमित को निरस्त कर मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है मात्र मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है, जहॉ तक वादी के अभिभाषक का यह तर्क कि वाद मात्र विभाजन का है वाद पठन से सिद्ध नहीं होता वाद के अनुतोष घोषणा, मुआवजा दिलाने व खाता विभाजन का है प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित आर.एल.डब्ल्यू. रेवेन्यू 2018 पेज 163 तथ्यात्मक भिन्नता होने से इस मामले में प्रभाव शील नहीं होता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय आर.बी.जे. 2017 पेज 386 इस मामले में प्रभावशील प्रतीत होती है जिसके अनुसार अबेटमेन्ट ऑफ अपील स्वतः 90 दिन बाद वारिसों को पक्षकार ना बनाने पर निरस्त होने योग्य है, इस मामले में प्रभावशील होती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र वादी दिनांक 06.01.2026 अवधि पार प्रस्तुत होने से व विलम्ब का संतोषजनक कारण नहीं दिये जाने के कारण वाद को स्वतः मृत्यु की सूचना के 90 दिन बाद स्वतः उपशमित आदेश 22 रूल 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के माना जाकर वाद को निरस्त किया जाता है इसी अनुसार वादी के प्रार्थना पत्र को भी निरस्त करने के आदेश दिये जाते है डिकी जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.24 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली इसी अनुसार निर्णित मानकर दाखिल दफतर किये जाने के आदेश दिये जाते है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जय प्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

ख्यालीराम पुत्र श्री श्रीमनसुख (फौत)

1. दौलतराम पुत्र श्री ख्यालीराम जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. पुष्पा पुत्री श्री खयालीराम जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजपाल पुत्र (फौत)
   3(1) ममता पत्नी श्री राजपाल जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   3(2) ऋषभ कुमार पुत्र श्री राजपाल नाबालिग जरिये कुदरती वलि माता ममता पत्नी श्री राजपाल जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......वादीगण

बनाम

1. श्री प्रभूराम } पुत्रगण श्री छोगाराम जाति नाई निवासी मालेर तहसील
2. श्री गौरीशंकर } सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.ए. 1955 मुकदमा न. 141 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादीगण श्री राकेश सारस्वत व वकील प्रतिवादीगण श्री भगवान दत्त शर्मा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी उपशमित होने से निरस्त किया जाता है खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.......×......... मुबलिग ......×...............×......... खर्चा ....×......... इस मुकदमें में मय सूद बशरह......×...... फरीक ... को दिलाना......×......... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक ... अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23.04.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.24 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।